न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–145/2022

गणेश प्रसाद चौधरी एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

समाहर्ता, प0 चम्पारण एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
15.01.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख प्रतिवादी सं0–01 ता 04 की ओर दिये गये आवेदन दिनांक 10.04.2023 आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** प्रतिवादी सं0–01 ता 04 की ओर से अपने आवेदन दिनांक 10.04.2023 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0–01 ता 04 को दिनांक 23.12.2022 को उपस्थित हुए है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रतिवादी सं0–01 ता 04 द्वारा दाखिल बयान तहरीरी को दाखिल करने में हुये विलंब को माफ कर बयान तहरीरी स्वीकार करने की कृपा की जाय। वादीगण की ओर से प्रतिवादी सं0–01 ता 04 के आवेदन का मौखिक विरोध किया तथा कहा कि प्रतिवादी सं0–01 ता 04 को पर्याप्त समय देने के बावजूद भी समय पर बयान तहरीरी दाखिल नही किया है। अतः आवेदन खारिज किया जाय। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवादी सं0–01 ता 04 दिनांक 23.12.2022 को न्यायालय में अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुये तथा दिनांक 10.04.2023 को प्रतिवादी सं0–02 ता 04 की ओर से संयुक्त बयान तहरीरी दाखिल किया गया। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी वाद का निस्तारण उभय पक्षों को सुनकर किया जाना चाहिए। जिससे वाद का निस्तारण अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। अतः प्रतिवादी सं0–02 ता 04 को अपना पक्ष प्रस्तुत कर वाद में संघर्ष करने का अवसर देना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में प्रतिवादी सं0–01 ता 04	

न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–145/2022

गणेश प्रसाद चौधरी एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

समाहर्ता, प0 चम्पारण एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 15.01.2025	का आवेदन दिनांक 10.04.2023 स्वीकार करते हुए प्रतिवादी सं0–02 ता 04 की ओर से दिये गये संयुक्त बयान तहरीरी को ग्रहण किया जाता है। आगामी दिनांक 27.02.2025 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश नरकटियागंज	